न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 11/2018(B) – आ0नि0

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाम फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां

–प्रार्थी

1. श्रीमती गीता पत्नी हरराम जाट निवासी तस्वारियाबांसा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री रमेश चेचाणी अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक १९–१९–.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि ग्राम तस्वारियाबांसा तहसील फुलियाकलां में कृषि भूमि का आवंटन नियम 1970 के तहत दिनांक 31.05.1989 को ग्राम बड़ला की आराजी सं. 290/1 रकबा 2.00 बीघा भूमि काश्त हेतु आवंटन की गयी। विपक्षी को जरिये नामान्तरकरण सं. 16 दिनांक 07.08.1992 से भू प्रवन्ध कार्यवाही दौरान उक्त वर्णित आराजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद गैर खातेदारी हक से किया गया। विपक्षी को आंवटन की गयी भूमि के पुराने आराजी नं. 290/1 रकबा 2.00 बीघा जिसके हाल आराजी नं. 2219/870 रकबा 0.50 हैक्ट. किस्म गे.मु. खड्डा 0.10 हैक्ट. व बंजड़ 0.40 हैक्ट. बने हैं। विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी एवं न ही उक्त भूमि पर कभी काश्त की है। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि आवन्टन निरस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2015 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए तथा भू–आवंटन संबंधी रिकार्ड तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा से क्रमांक/आवंटन/2017/729 दिनांक 09.05.2017 से पत्रावली सं. 924/89 प्राप्त हुयी।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ग्राम तस्वारियाबांसा तहसील फुलियाकलां में कृषि भूमि का आवंटन नियम 1970 के तहत दिनांक 31.05.1989 को ग्राम बड़ला की आराजी सं. 290/1 रकबा 2.00 बीघा भूमि काश्त हेतु आवंटन की गयी। विपक्षी को जरिये नामान्तरकरण सं. 16 दिनांक 07.08.1992 से भू प्रबन्ध कार्यवाही

दौरान उक्त वर्णित आराजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद गैर खातेदारी हक से किया गया। विपक्षी को आंवटन की गयी भूमि के पुराने आराजी नं. 290/1 रकबा 2.00 बीघा जिसके हाल आराजी नं. 2219/870 रकबा 0.50 हैक्ट. किस्म गे.मु. खण्डा 0.10 हैक्ट. व बंजड़ 0.40 हैक्ट. बने हैं। विपक्षी द्वारा उक्त भूमि पर कभी काश्त नहीं की है। विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में भू प्रबन्ध विभाग का मिलान जमाबन्दी नकल संवत् 2038 से 2041 प्रस्तुत की हैं। ग्राम बडला के आराजी नं. 2219/870 क्षैत्रफल 0.50 हैक्ट. की खसरा गिरदावरी संवत् 2070–73 पेश की हैं। जमाबंदी संवत् 2070–73 की नकल पेश की जिसमे गीता पत्नी हरिराम जाट सा. तस्वारियाबासां गैर खातेदार दर्ज हैं।

विपक्षी अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की। जिसमें बताया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात विपक्षी को नियमानुसार सही तरीके से आवंटन किया गया है। विपक्षी सद्भावी भूमिहीन काश्तकार होने के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति ने भूमि आवंटित की है। विपक्षी आवंटन के बाद भूमि में फसल काश्त की है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में समस्त कथन निराधार एवं बनावटी तौर पर अंकित किये हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे तथा विपक्षी के आवंटन को यथावत रखाये जाने का आदेश किया जावे।

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 आवंटन की शर्ते– 1. आवंटी को काश्तकारी अधिनियम के अधीन गैर खातेदार काश्तकार के सभी अधिकार होगें ।

1. **क – ऐसे मामले में जहां भूमि का आवंटन किसी विवाहित कृषक को किया जाये तो आवंटन पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम में किया जायेगा तथा ऐसे मामले में संयुक्त आंवटी के रूप में समझे जायेगें ।**

2. **लगान ,भूमि पर लागू स्वीकृत लगान दर से अथवा यदि आवेदित एवं आवंटित भूमि लगान के लिये लगान का निर्धारण नहीं हुआ हैं तो ग्राम में बारानी भूमि की निम्नतम श्रेणी पर लागू दर से और ग्राम की चाही या नहरी सिचिंत भूमियों के लिये यथास्थिति चाही या नहरी दर से, आवंटन के प्रथम वर्ष से देय होगा ।**

3. **आवंटी को भूमि काश्त के अधीन लानी होगी तथा वह उसका समुचित उपयोग करेगा ।**

3. **यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व किया गया हो या यदि आवंटी ने आवंटन शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्द करने की शक्ति कलक्टर को होगी ।**

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा की प्रमाणित प्रति भू आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 31.05.1989 में क्रमांक 15 पर गीता पत्नी हरराम जाट निवासी तस्वारियाबासां के नाम ग्राम बडला के आराजी नं. 290/1

रकबा 02 बीघा भूमि आवंटन की गयी हैं। खसरा गिरदावरी संवत् 2054 से 2057 में जिन्स चना, तारामीरा काश्त अंकित हैं इसके पश्चात् नियमित काश्त दर्ज नहीं हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका पर्चा व खसरा जिन्सवार परीक्षण में पाया गया कि विपक्षी द्वारा आवंटनशुदा भूमि में काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970 के नियम 14 में विहित शर्तों की आवंटी द्वारा उल्लघंना की हैं, जिससे अप्रार्थी को आवंटित की गई कृषि भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना युक्तियुक्त हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार विपक्षी के नाम पर किया गया आवंटन निरस्त योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार किया जाता है। भू–आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 31.05.1989 को विपक्षी को ग्राम तस्वारियाबांसा तहसील फुलियाकलां में आराजी नम्बर 290/1 रकबा 2.00 बीघा भूमि का किया गया आवंटन जो हाल आराजी नं. 2219/870 क्षैत्रफल 0.50 हैक्ट. श्रीमती गीता पत्नी हरिराम जाट सा. तस्वारियाबासां के नाम गैर खातेदारी से दर्ज हैं को, निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार फुलियाकलां उक्त आवंटित भूमि को बिलानाम दर्ज करें। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड तहसीलदार फुलियाकलां को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक \९–\९–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा